


शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) जमा करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (एस.एच.-5ए) के किमी० 5.050 से किमी 10.050 तक के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य में उपयोग में आने वाली वन भूमि, जो 9.00 हे० संरक्षित वन भूमि हैं, का शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि अदा करने हेतु उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ वचनबद्ध है। यदि एन०पी०वी० मूल्य में भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो तदानुसार मूल्य जमा किया जाएगा।


प्रबन्धक (तकनीकी)
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
लखनऊ


महाप्रबन्धक (तकनीकी-पूर्व)
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा)
लखनऊ।